न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 03/2021 GCMS No 2021/10
दायरा तिथि : 04.01.2021
फैसला तिथि : 30.07.2021

प्रार्थी:नीः–
कौशल्या कुंवर पुत्री अमरसिंहजी पत्नि नैनसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासी भीटवाडा हाल खुडाला बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. डूंगरसिंह पुत्र बहादुरसिंहजी जाति रावणा राजपुत
2. तेजपालसिंह पुत्र पुरणसिंहजी जाति रावणा राजपुत
3. देवीसिंह पुत्र भैरूसिंहजी जाति रावणा राजपुत
4. प्रेमसिंह पुत्र बहादुरसिंहजी जाति रावणा राजपुत
5. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र पुरणसिंहजी जाति रावणा राजपुत
6. पुष्पाकंवर पुत्री अमरसिंहजी जाति रावणा राजपुत
7. भुरसिंह पुत्र भैरूसिंहजी जाति रावणा राजपुत
8. मुलसिंह पुत्र बहादुरसिंहजी जाति रावणा राजपुत
9. यशपालसिंह पुत्र पुरणसिंहजी जाति रावणा राजपुत
10. शैतानसिंह पुत्र अमरसिंहजी जाति रावणा राजपुत
11. श्यामकंवर पुत्री अमरसिंहजी जाति रावणा राजपुत
12. श्रवणसिंह पुत्र अमरसिंहजी जाति रावणा राजपुत
13. शान्ताकंवर पत्नि अमरसिंहजी जाति रावणा राजपुत
निवासीगण भीटवाडा हाल फालना स्टेशन तहसील बाली जिला पाली (रीज0)
14. पराजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::–

दिनांक -30.07.2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर उसके द्वारा ग्राम भीटवाडा तहसील बाली में संयुक्त सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमियो यथा खसरा नंबर 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 667, 668, 669, 670 कुल खसरा–13 कुल रकबा 7.29 हैक्टर के 1/18 हिस्सा में तथा ग्राम भीटवाडा में ही सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि खसरा नंबर 31, 41, 42, 43 कुल खसरा–04 कुल रकबा 1.52 हैक्टर में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम फूलकंवर पुत्री अमरसिंह** को दुरस्ती के माध्यम से **कौशल्या कुंवर पुत्री अमरसिंह शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रतिया,, फोटो कांपी आधार कार्ड, फोटो कांपी राशन कार्ड, फोटो कांपी भामशाह कार्ड, फोटो कांपी पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग की प्रतियॉ पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमियों में त्रुटिपुर्ण नाम फूलकंवर पुत्री अमरसिंह दर्ज होने तथा प्रार्थीनी द्वारा धारित अन्य सरकारी दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामशाह कार्ड, फोटो पहचान पत्र में प्रार्थीनी का सही व वास्तविक नाम कौशल्याकुंवर पुत्री अमरसिंह दर्ज होना स्वीकार किया, तथा उक्त त्रुटि अमरसिंह के फौतेदगी म्यूटेशन के समय होने से राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थीनी का नाम **फूलकंवर पुत्री अमरसिंह** के स्थान पर **कौशल्या कुंवर पुत्री अमरसिंह** शुद्ध किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 2, 4,6,8,9,10,11 व 13 बावजुद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2021 को इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये गये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01, 03, 07, 12 के अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह राठौड को जवाब प्रस्तुती के लिये पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजुद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अप्रार्थी संख्या–05 एक बार ही न्यायालय में उपस्थित होने से अप्रार्थी संख्या 01, 03, 05, 07, 12 का जबाव अवसर बंद कर तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थी श्री विक्रसिंह सोलंकी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम **कौशल्या कुंवर पुत्री अमरसिंह** है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामशाह कार्ड, फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत कर दिये है, जबकि प्रार्थी द्वारा धारित की जा रही सह खातेदारी भूमियों में नाम **फूलकंवर पुत्री अमरसिंह** दर्ज है, जिसको दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् तहसीलदार, बाली के जवाब व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के अवलोकन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। उपरोक्त वर्णित भूमियो में दर्ज प्रार्थी के त्रुटिपुर्ण नाम **फूलकंवर पुत्री अमरसिंह को विलोपित** करते हुये **सही व शुद्ध नाम कौशल्या कुंवर पुत्री अमरसिंह दुरस्ती के माध्यम से हिस्सा अनुसार दर्ज** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भीटवाडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक 30.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

Scanned with CamScanner